अपील सूचना अधिकार संख्या 61/2021(GCMS 2021/92)(आरटीआई नं. 212064620911791) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल, जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ/313746) बनाम जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.05.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.11.2021 से बाईस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.11.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न बाईस बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 16.11.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक की सूचना बाबत जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के द्वारा प्रकरण निपटारे हेतु प्रस्तुत किये गये।
2. पत्रांक पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. प्रार्थी का पत्रांक 16.11.2020 प्राप्ति से लेकर दिनांक 27.01.2021 तक जो जो कार्यवाही की गई है, उसकी ... व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 09.09.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक, पत्र प्राप्ति क्रमांक बाबत प्रकरण अनवान् राधेश्याम बनाम नरेश गोयल, कोषाधिकारीजन अभाव अभियोग निराकरण समिति में सुनवाई होकर प्रस्तुत किये गये की सूचना व प्रार्थी के पत्रांक की प्राप्ति की आर/आर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. पत्रांक पर 9.9.2020 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
6. पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 27.01.2020 तक प्रार्थी के पत्र पर जो जो कार्यवाही की गयी उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
7. प्रार्थी के पत्र पर कार्यवाही करने वाले सम्बन्धित अधिकारी का नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की सूचना।
8. प्रार्थी के प्रकरण में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के निपटारे हेतु जिस विभागीय नियम के अन्तर्गत नहीं सुना गया, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
9. सम्बन्धित कर्मकार श्री सुखदेव सिंह से पूछने पर उन्होंने कहा कि आपका प्रकरण पर कलैक्टर साहब ने अभी तक सहमति प्रदान नहीं की है, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।
10. प्रार्थी के प्रकरण दायर करने के पश्चात जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत किये, उसकी सूचना।
11. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 09.09.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व पत्र प्राप्ति की सूचना, क्रमांक की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

12. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार एवं अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।

13. पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 27.01.2021 तक पत्र पर जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार द्वारा की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

14. प्रकरण जिस नियम के तहत जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के समक्ष निपटारो हेतु जिला कलैक्टर के आदेश के उपरांत नहीं रखा गया, उस आदेश व नियम की प्रमाणित प्रति। प्रकण में नरेश अग्रवाल को अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध न कराये जाने बाबत सूचना।

15.प्रार्थी के पत्रांक पर जन अभाव अभियोग निराकरण में सुनवाई हेतु लगने वाले समय की सूचना, विभागीय नियमों के अन्तर्गत

16. वह नियम जिसके अन्तर्गत प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा सुना नहीं गया है।

17. प्रार्थी के प्रकरण के उपरांत जो प्रकरण प्राप्त हुए व उनको जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा निपटारा किया, उनकी सूचना।

18. प्रार्थी का पत्रांक 31.08.2020 क्रमांक 7707 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व क्रमांक प्रार्थी की सूचना व पत्र पर कार्यवाही की सू[illegible] 27.[illegible] जो दी गयी है।

19. पत्र पर कार्यवा[illegible] का नाम व पद की सूचना. [illegible] द्वारा उपलब्ध न कराये जाने बाबत सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

20. प्रार्थी का प्रकरण प्रार्थी के पत्रांक 7707 जिस नियम के अन्तर्गत श्रीमान् जिला कलक्टर साहब द्वारा आदेशित करने के उपरांत सुना नहीं गया है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
21. प्रार्थी के पत्रांक 7707 दिनांक 31.08.2020/09.09.2020 के पश्चात प्राप्त अन्य व्यक्तियों के प्रकरण सुने जाने की सूचना व उनके नाम व पता की सूचना।
22. प्रार्थी के प्रकरण को जन अभाव अभियोग निराकरण में सुने जाने हेतु लगाने वाले समय की सूचना।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सतर्कता/2021/6822 दिनांक 25.03. 2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03. 2021 प्राप्त दिनांक 23.03.2021 के संदर्भ में चाही गई इस कार्यालय की सतर्कता शाखा से सम्बन्धित सूचना पांच सौ उन्तीस पृष्ठ की है जो दो रूपये प्रति पेज की दर से दस सौ अठावन रू. का पोस्टल ऑर्डर जमा करवा कर प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना की आवश्यकता है तो किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अन्य विभाग से सम्बन्धित सूचना के लिए उन्हें पृष्ठांकित कर दिया गया है।

संलग्न : उक्तानुसार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क्रमांक : सतर्कता/ 2021/6823—30 दिनांक 25.03.2021
1. प्रभारी अधिकारी अधिकारी, सामान्य शाखा/प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा/डी.आई.जी. पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ, प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा/एस.डी. के.सह.बै।क, श्रीगंगानगर /उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर/कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर/ तहसीलदार, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक 6778—6811 दिनांक 17.03.21 के संदर्भ में सम्बन्धित बिन्दु की सूचना प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध करवाते हुए इस शाखा को अवगत कराने हेतु प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगनर ने अपने पत्रांक 6822 दिनांक 25.03.2021 से उसके प्रार्थना पत्र का जवाब उक्तानुसार दिया है जिसके अनुसार अपीलार्थी अपनी दो रूपये प्रति पृष्ठ के अनुसार राजकोष में राशि जमा कर वांछित सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसलिए **प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया गया, वह सही है। जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:27 IST
Reason: SelfAttested